कालूराम - तहसीलदार नेछवा, 98/23

दिनांक	आज्ञा पत्र
3.4.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप/ रेस्पो. के नोटिस बाद तामील प्राप्त। वास्ते रिकॉर्ड तलबी दिनांक 20.5.24 को पेश हो रेस्पो. 3 से 6 की ओर से श्री लालचन्द एड द्वारा वकालतनामा पेश किया शामिल रहे। [initials]
20.5.24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31-5-24 को पेश हो।
31.5.24	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18.6.24 को पेश है।
18/6/24	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप.। तहत आ रिकार्ड प्राप्त। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 4.7.24 को पेश हो। [initials]
4.7.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रा. वास्ते आदेश दिनांक 18/7/24 को पेश हो। [initials]
18/7/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट डिक्री की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। [initials]

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 98 / 2023

1 बालुराम उम्र 75 वर्ष पुत्र चेताराम
2 जैसाराम उम्र 57 वर्ष पुत्र नाथूराम
3 गोपीराम उम्र   वर्ष पुत्र नाथूराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रूल्याणा पट्टी तहसील नेछवा जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 तहसीलदार नेछवा तहसील नेछवा जिला सीकर
2 पटवारी हल्का भिलूण्डा तहसील नेछवा जिला सीकर।
3 पन्नाराम पुत्र बोदूराम
4 लिखमाराम पुत्र बोदूराम
5 मोहनराम पुत्र बोदूराम
6 रेखाराम पुत्र बोदूराम
समस्त जाति जाट निवासीगण रूल्याणा पट्टी तहसील नेछवा जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 01.08.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा जिला सीकर आवेदन संख्या 12 / 2022 बउनवानी बालूराम आदि बनाम तहसीलदार आदि आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सीपीसी अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री हरफूल सिंह खीचड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

—निर्णय—

दिनांकः— 18.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा द्वारा मुकदमा 12/2022 में पारित निर्णय दिनांक 01.08.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से ग्राम रूल्याणा पट्टी तहसील लक्ष्मणगढ़ वर्तमान तहसील नेछवा जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 48 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49 रकबा 1.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.04 हैकटेयर, खसरा नम्बर 55 रकबा 1.96 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.78 हैक्टेयर के बाबत एक दावा संख्या 58/2017 व अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। वाद पत्र संख्या 58/2017 पुराना जिसके नये नम्बर 81/2021 को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2022 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लेने के लिए आदेश 09 नियम 09 सीपीसी व 151 सीपीसी का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2023 को खारिज करने का आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के अधिवक्ता ने दिनांक 06.01.2022 को अपीलांट का वाद आदेशिका में यह अंकन कर खारिज किया है कि अपीलांट के वकील ने पैरवी करने इन्कार किया। वादीगण उपस्थित नहीं है। अतः वाद अमद हाजरी में खारिज किया जाता है। इस आदेश विरूद्ध अपीलांट ने आदेश 09 नियम 09 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। विधि अनुसार प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण को दर्ज कर अपीलान्टस को कोई नोटिस सूचना नही दी गयी थी तथा विचारण न्यायालय ने अपनी आदेशिका में उभयपक्षों को सूचित किया जाने बाबत अंकन करने तथा अपीलान्टस के विचारण न्यायालय में पूर्व अधिवक्ता रामनिवास ढूकिया द्वारा पैरवी करने से इंकार करने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्टस को कोई नोटिस सूचना नहीं देकर वाद पत्र को खारिज करने का गलत आदेश पारित किया गया था। जिसकी जानकारी होने पर अपीलान्टस द्वारा विचारण न्यायालय में वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लेकर सुनवायी करने बाबत आदेश 09 नियम 09 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विधि विरूद्ध विवेचन कर विचाराधीन आदेश से खारिज किया है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि आवेदनकर्ता को राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत निगरानी के निस्तारण की पूर्ण जानकारी थी एवं आवेदनकर्ता के अधिवक्ता को सूचित भी किया गया था तथा आवेदन कर्ता की सहमति से उनके अधिवक्ता ने पैरवी करने से इन्कार किया है जिससे स्पष्ट है कि आवेदनकर्ता वाद को चलाना नहीं चाहते थे। आवेदनकर्ता क़ो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

इस दावा को खारिज करने की जानकारी पूर्व से ही थी राजस्व मण्डल द्वारा भी आवेदनकर्ता को विचारण न्यायालय में हाजिर होने के आदेश दिये थे परन्तु आवेदनकर्ता एवं उनके अधिवक्ता द्वारा जानबुझकर अपनी स्वेच्छा से अपना दावा खारिज करवाया था उसके बाद काफी लम्बे समय तक कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया अब आवेदनकर्ता द्वारा काफी देरिना पेश किया है जो मियाद में नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन आदेश 09 नियम 09 सीपीसी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय मण्डल से निगरानी निस्तारित होकर पत्रावली विचारण न्यायालय में प्राप्त होने पर अपीलांट के अधिवक्ता ने नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया है। विधिक प्रावधानों के अनुसार ऐसी स्थिति में पक्षकार को नोटिस जारी किये जाने का विधिक प्रावधान है। विचारण न्यायालय ने इस विधिक प्रकिया की पालना किये बिना अपीलांट का वाद अदम हाजरी में खारिज कर दिया। इसके उपरांत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 09 नियम 09 विचाराधीन आदेश से खारिज किया है। विचाराधीन आदेश में पत्रावली पुनः नम्बर पर नहीं लेने का विधि सम्मत कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं अपीलांट का आवेदन आदेश 09 नियम 09 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मूलवाद एवं धारा 212 के आवेदन को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिए जाते है। विचारण न्यायालय विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अ
सीकर

मूलवाद एवं धारा 212 के आवेदन में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 18.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर